सं. 24(401)/2001-सीडीएन/157
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजनीतिक दलों को भूमि आबंटन हेतु नीति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिल्ली में उनके कार्यालय के निर्माण कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता के अधीन भूमि के आबंटन हेतु एक नीति तैयार की है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और कम से कम सात सांसदों वाले मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दलों (संसद के दोनों सदनों में मिलाकर) को दिल्ली में कार्यालय के विनिर्माण के लिए भूमि आबंटन करने हेतु विचार किया जाएगा;

(ii) राजनीतिक दलों को भारत के निर्वाचन आयोग से ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उनके मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के रूप में हैसियत तथा मान्यता की पुष्टि हो;

(iii) यदि राजनीतिक दलों के पास अपने कार्यालय के प्रयोजनार्थ कोई सरकारी बंगला/ विट्ठलभाई पटेल हाउस में सुइट है तो उन्हें उनको आबंटित भूमि पर स्थित भूखंड पर कार्यालय के विनिर्माण के उपरांत उस भूखंड के रिक्त कब्जा लेने की तारीख के तीन वर्षों, जो भी पहले हो, के अंदर उसे तत्काल खाली कर देना चाहिए;

(iv) आबंटित भूमि पर विनिर्मित भवन का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक यूनिट और दलों के अन्य प्रकोष्ठों/संगठनों के रूप में किया जाएगा। इन परिसरों का उपयोग केवल कार्यालय प्रयोजन और अन्य ऐसी सहायक गतिविधियों के लिए ही किया जाएगा जो इस कार्यालय के कामकाज में सहायक हैं। इन भूखंडों को किराए पर देने संबंधी मामले सांस्थानिक भूखंडों के संबंध में जारी अनुदेशों/प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे;

(v) इन परिसरों का उपयोग केवल रिहायशी/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा;

(vi) भूमि पट्टा आधार पर आबंटित की जाएगी और आबंटन की तारीख पर प्रचलित जोनल वेरिएंट सांस्थानिक दर के प्रीमियम का भुगतान करने पर आबंटन किया जाएगा। आबंटी दल वार्षिक भू किराए का भी भुगतान करेगा जो प्रीमियम की 2.5 प्रतिशत धनराशि होगी। इन आबंटनों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी;

(vii) दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या के अनुसार उनको आबंटन हेतु विचारित भूमि का आकार निम्नलिखित होगाः-

(क) कुल 15 सांसद होने पर 500 वर्गमीटर
(ख) 16 से 25 सांसद होने पर 1000 वर्गमीटर
(ग) 26 से 50 सांसद होने पर 2000 वर्गमीटर
(घ) 51 से 100 सांसद होने पर 1 एकड़
(ङ) 101 से 200 सांसद होने पर 2 एकड़
(च) 201 अथवा इससे अधिक सांसद होने पर 4 एकड़

(viii) राजनीतिक दलों को आबंटित भूमि में एक अथवा एक से अधिक भूखंड शामिल हो सकते हैं;

(ix) यदि किसी राजनीतिक दल को पहले भूमि आबंटित की गई है तो नवीन भू आबंटन पर उसे पहले से आबंटित भूमि के आकार को घटाकर उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा;

(x) विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों की दिल्ली राज्य स्थित यूनिटों के मामले में निम्नलिखित दो श्रेणियों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि आबंटित करने पर विचार किया जाएगा;

(क) दिल्ली विधानमंडल में प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की दिल्ली राज्य यूनिट; और

(ख) दिल्ली विधानमंडल में कम से कम 7 विधायकों वाले राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की दिल्ली राज्य यूनिट;

(xi) कम से कम 4 सांसदों (दोनों सदनों में मिलाकर) वाले राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राजनीतिक दलों पर विट्ठलभाई पटेल हाउस में कार्यालय स्थल के आबंटन हेतु विचार किया जाएगा;

(xii) यदि कोई राजनीतिक दल कार्य करना बंद कर देता है तो उनसे भूमि वापस ले ली जाएगी। तथापि, यदि कोई राजनीतिक दल विभाजित हो जाता है तो न्यायालय/निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में निर्धारित दल के गुट (गुटों) को पट्टे पर दी गई भूमि को आबंटित कर दिया जाएगा। ऐसी आकस्मिकता से उत्पन्न हुई अन्य किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से मामला दर मामला आधार पर निपटा जाएगा;

(xiii) आबंटी स्थानीय निकाय, एलएंडडीओ तथा डीयूएसी से अनुमोदित भवन योजना प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य शुरू करेगा;

(xiv) आबंटित भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण/ढांचे को हटाने का उत्तरदायित्व आबंटी का होगा;

(xv) यदि भूखंड पर पेड़ खड़े हैं तो यह सरकारी संपत्ति होगी और इस सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बगैर नहीं हटाया जाएगा;

(xvi) आबंटी अपने स्वयं के खर्च पर एक समझौता ज्ञापन (एमओए) और पट्टा विलेख निष्पादित करेगा;

(xvii) भूमि का कब्जा शुरूआत में पहली अर्द्ध-वार्षिकी के लिए अग्रिम में भू किराए और प्रीमियम मिलने तथा समझौता ज्ञापन निष्पादित करने पर लाइसेंस के आधार पर दिया जाएगा। प्रीमियम के रूप में जमा की गई धनराशि करार के देय निष्पादन के लिए सिक्योरिटी के रूप में मानी जाएगी और निर्धारित समय में सफलता पूर्वक समझौता ज्ञापन की शर्तें पूरी होने पर भूमि पट्टे पर दी जाएगी तथा जमा की गई सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगी और लाइसेंस शुल्क भू किराया हो जाएगा;

(xviii) निम्नलिखित परिस्थितियों में आबंटन निरस्त/रद्द कर दिया जाएगाः-

(क) यदि आबंटी आबंटन/एमओए/पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार प्रीमियम और भू किराया अथवा अन्य कोई भी सरकारी देय का भुगतान करने में विफल रहता है।

(ख) यदि दल स्थानीय निकाय से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करवाने के उपरांत 3 वर्षों की अवधि के भीतर भवन का निर्माण कार्य शुरू करने मं असमर्थ रहता है। If the party fails to construct the building within the period of three years of handing over of possession;

(ग) यदि परिसर का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए भूमि आबंटित की/पट्टे पर दी गई है।

(घ) यदि आबंटी महायोजना सहित भवन निर्माण उप-विधियों/अन्य सांविधिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है; और

(ङ) उत्तरवर्ती निष्पादित समझौता ज्ञापन अथवा पट्टाविलेख या आबंटन पत्र में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्ते के उल्लंघन के लिए।

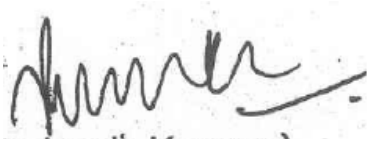

(राकेश कुमार)
भूमि और विकास अधिकारी

सेवा में,

1. संपदा निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध से साथ कि वे सरकारी बंगला/वी.पी. हाउस में सुइट धारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यह सलाह दे कि वे भूमि के आबंटन के लिए आवेदन करें और नीति के अनुसार इन बंगलों/सुइटों को खाली करवाने हेतु कार्रवाई करें।
2. संसदीय मामले मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
3. राज्यसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
4. लोकसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
5. भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली से अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यालय को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची उपलब्ध कराई जाए और जब भी इस सूची में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. विधि, न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

10. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
11. शहरी विकास मंत्री/राज्य मंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव।
12. सचिव (शहरी विकास)/अपर सचिव (शहरी विकास)/संयुक्त सचिव (डीएल) के निजी सचिव।
13. मुख्य सूचना अधिकारी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
14. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल (सूची के अनुसार)।
15. उप भूमि एवं विकास कार्यालय-VI
16. एल-II-बी अनुभाग।